मांगीलाल / चम्पालाल

81/2013

28-7-22	अभिभाषक अपीलांट् व अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 उपस्थित। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या1 द्वारा माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के आदेश दिनांक 28–05–2013 के अनुसरण में सर्वप्रथम मियांद के बिन्दु पर बहस सुनने का कथन किया गया, जिसके विरोध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा कथन किया गया चूंकि प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अतिरिक्त अन्य रेस्पोडेन्ट की तलबी शेष है, ऐसी स्थिति में अन्य रेस्पोडेन्ट् की तलबी से पूर्व मियांद प्रार्थना पत्र पर सुनवाई नहीं की जा सकती। इस संबंध में हमने माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–05–2013 का अवलोकन किया। माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा निगरानी प्रस्तुत किये जाने पर माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा दिनांक 28–05–2013 को पारित निर्णय में स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है कि राजस्व अपील प्राधिकारी, के समक्ष आदेश दिनांक 22–01–2010 के विरूद्व अपील दिनांक 08–05–2013 को प्रस्तुत की गई है, जोकि स्पष्ट रूप से ढाई वर्ष मियांद बाहर प्रस्तुत की गई थी, ऐसी स्थिति में आदेश 41 नियम 3–ए सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार अगर अपील मियांद बाहर प्रस्तुत की गई हो तो सर्वप्रथम मियांद के बिन्दु को निर्णित किया जाना चाहिए तथा इसके पश्चात् ही प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जानी चाहिए। उक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण इस निर्देश के साथ न्यायालय हाजा को प्रतिप्रेषित किया गया है कि दोनों पक्षों को सुनकर सर्वप्रथम भारतीय परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर यदि अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जाता है तो विधि अनुसार आगामी कार्यवाही करें। इस प्रकार प्रकरण में इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता कि अपील के गुणावगुण पर निर्धारण से पूर्व उच्चतर न्यायालय के आदेशों के अनुसरण में मियांद का बिन्दु सर्वप्रथम निर्धारित किया जाना अत्यावश्यक है। लिहाजा उभय पक्षों को मियांद प्रार्थना पत्र पर सुना गया व अपीलांट् द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत मियांद प्रार्थना का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलांट् द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत मियांद प्रार्थना में अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन करने के संबंध

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

में अभिलिखित किया गया है कि रेस्पोडेन्टान् दिनांक 03–05–2013 को एकराय होकर मौके पर आये और अपीलांट् को भूमि पर जबरन कब्जा करने की कोशिक की तथा वादग्रस्त भूमि से जबरन बेदखल कर कब्जा लेने का प्रयास किये जाने पर हुई। अपीलांट् द्वारा बिना देरी के दिनांक 06–05–2013 को नकल आदि प्राप्त करते हुए दिनांक 08–05–2013 को ही अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत कर दी गई। ऐसी स्थिति में अपीलांट् द्वारा जानकारी के दिन से अपील अन्दर मियांद प्रस्तुत की गई है। चूंकि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट् को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया गया है, ऐसे एकतरफा आदेश पर मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट् की अपील जानकारी के दिन से अन्दर मियांद शुमार करते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जाकर अपील का निस्तारण गुणावगुण परर किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा मियांद के बिन्दु पर कथन किया गया कि अपीलांट् द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 22–10–2010 के विरूद्व अपील दिनांक 08–05–2013 को प्रस्तुत की गई है, जोकि करीब 928 दिवस के पश्चात् प्रस्तुत की गई है। अपीलांट् द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद को कण्डोन करने के जो कारण अंकित किये गये है, वे इतनी लम्बी अवधि को कण्डोन करने के संतोषजनक व पर्याप्त कारणों की परिभाषा में नहीं आते है। अपीलांट् द्वारा दिनांक 03–05–2013 की जो घटना मियांद प्रार्थना में अभिलिखित की गई है, व सर्वथा झूठी बयानी हैं अपीलांट् को आदेश जैर अपील की प्रारम्भ से ही जानकारी रही है। उल्लेखनीय है कि अपील प्रस्तुत किये जाने से पूर्व ही अपीलांट् के अधिकार आराजी जैर अपील में नहीं रहे थे, नाही अपीलांट् का आराजी जैर पर कभी कब्जा काश्त ही रहा है। ऐसी स्थिति में बिना किसी अधिकारों के अपीलांट् द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है। जिसकी उन्हें कतई अधिकार हासिल नहीं है। अपीलांट् द्वारा मियांद प्रार्थना में मियांद को कण्डोन करने के जो कारण अभिलिखित किये गये

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

है वे समस्त कारण वेग है, जिनका वास्तविकता से कोई सरोकार नहीं है। अतः अपीलांट् की अपील मियांद के बिन्दु पर खारिज फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक उभय पक्षों को सुना गया तथा पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट् द्वारा उपखण्ड़ अधिकारी, नोखा द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–01–2013 के विरूद्व अपील दिनांक 08–05–2013 को प्रस्तुत की गई है। माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा अपील के गुणावगुण पर निर्णय से पूर्व मियांद के बिन्दु को निर्धारित किये जाने के आदेशों के अनुसरण में उभय पक्षों को मियांद के बिन्दु पर सुना गया। प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 22–01–2013 के विरूद्व न्यायालय हाजा के समक्ष अपील दिनांक 08–05–2013 को प्रस्तुत की गई है, जोकि 928 दिन के उपरान्त प्रस्तुत की गई है। इस प्रकार अपीलांट् द्वारा प्रस्तुत अपील स्पष्ट रूप से मियांद वाहर अपील है। ऐसी स्थिति में न्यायालय द्वारा यह देखा जाना है कि अपीलांट् द्वारा मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद को कण्डोन करने हेतु जो कारण अभिलिखित किये गये है, वे इतनी लम्बी अवधि को कण्डोन करने के पर्याप्त कारणों की परिभाषा में आते है अथवा नहीं? इस संबंध में हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में अपीलांट द्वारा वादग्रस्त भूमि नोखा मण्डी के खेत खसरा नम्बर 167 रकबा 0.2680 हेक्टर भूमि के बाबत् प्रस्तुत करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा की मांग की गई है। जबकि समान भूमि के बाबत् अन्य अपील में अपीलांट् द्वारा उक्त भूमि को दिगर व्यक्ति ओम प्रकाश पुत्र जीयाराम सुथार को दिनांक 22–04–2013 को बेचान करने का कथन किया गया है। ऐसी स्थिति में जब अपीलांट् द्वारा आराजी जैर का बेचान अन्य व्यक्ति को किया जा चुका है, इस प्रकार वादग्रस्त भूमि पर उनके स्वत्व व अधिकार समाप्त हो चुके होने के उपरान्त भी मियांद प्रार्थना पत्र में यह कथन किया जाना कि दिनांक 03–05–2013 रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अपीलांट् को वादग्रस्त भूमि से बेदखल करने का प्रयास किया

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

गया, प्रकरण के तथ्यों के मद्देनजर युक्तियुक्त व संतोषजनक कारण की परिभाषा में नहीं आता है। जब अपीलांट् का वादग्रस्त भूमि से स्वामित्व ही समाप्त हो चुका है। ऐसी स्थिति में अपीलांट् द्वारा मियांद प्रार्थना पत्र में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अर्थात 928 दिन अवधि के विलम्ब को कण्डोन करने के कारण संतोषजनक व पर्याप्त कारण नहीं होने के आधार पर अपीलांट् की अपील मियांद के बिन्दु पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफत्र हो।

28/7/22

(रामस्वरूप चौहान)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर